2023/137

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट | **बनाम** | **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सन्तोकरामजी
निवासी मु.पो. वासा
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 82 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.08.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही को दिनांक 20.06.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि रोहिडा रोड पर भूखण्ड के एवं जाबेजी रोड पर भूखण्ड के पट्टे जारी किए गए है, उनके प्रस्ताव रजिस्टर सहित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति एवं पटवार घर वासा के पास में बने भवन के प्रमाणित दस्तावेज एवं वासा के गुफा नाडी रोड पर अपीलार्थी के खेत के पास बने रपट निर्माण के प्रमाणित दस्तावेज से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही को दिनांक 20.06.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि रोहिडा रोड पर भूखण्ड के एवं जाबेजी रोड पर भूखण्ड के पट्टे जारी किए गए है, उनके प्रस्ताव रजिस्टर सहित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति एवं पटवार घर वासा के पास में बने भवन के प्रमाणित दस्तावेज एवं वासा के गुफा नाडी रोड पर अपीलार्थी के खेत के पास बने रपट निर्माण के प्रमाणित दस्तावेज से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में [illegible] की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। [illegible] शुमार होकर नंबर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2024.01.06 16:04:11 IST Reason: SelfAttested (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner